

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत..... मुकाम.....

(SPO) वायतु

बनाम.....  
कंधाराम चेतनराव वर्मा

किस्म मुकदमा No. 111/28 नं. 184/2022 सन. 2022  
RIL Act -

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/4/22  10/5/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>स्वेता 111 जाकर</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>10/5/2022</u> को पेश हो।</p> <p><del>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्राधीगणों के नोटिस तामील शुद्ध प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किष्ठा गण/विप्राधीगण वावजुद तामिल अनुपस्थित/माभालम समग्र तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्राधीगण स्वयं भा उनकी ओर से कोई इतिवृत्त उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्राधीगणों के विरुद्ध एक्टरफा कार्यवाही कामल में लार्ज जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक-01/06/2022 को पेश हो।</del></p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) वायतु जिला - बाड़मेर</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) वायतु जिला - बाड़मेर</p>

सहायक कलक्टर (SDO) वायतु जिला - बाड़मेर

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

01/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक/कलेक्टर (SDO)  
बायतु  
जिला - बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड 3  
मांक : बाड़ / 2022 / 1265 -  
प्रार्थी  
रुघाराम पुन अ  
जाति जट  
पटवार

राजस्थान-सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 865

दिनांक : 01/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. रूघाराम पुत्र अणदाराम,  
जाति जाट, निवासी सखरोड़ा,  
पटवार मण्डल चौखला,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. चेतनराम पुत्र पेमाराम वगैरा 12,  
जाति जाट, निवासी सखरोड़ा,  
पटवार मण्डल चौखला,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 184 / 2022

### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - सखरोड़ा, पटवार मण्डल - चौखला तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 157/62 रकबा क्रमशः 8.5026 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जसदीप सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 01/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 866 - 870

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रूघाराम पुत्र अणदाराम,
4. विप्रार्थी श्री चेतनराम पुत्र पेमाराम वगैरा 12,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-बाड़मेर